

न्यायालय प्रथम अपील प्राधिकारी एवं जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005)

श्री ईमरान मोहम्मद निवासी हुरडा तहसील हुरडा, जिला भीलवाड़ा।

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी गुलाबपुरा, जिला भीलवाड़ा।

प्रकरण संख्या :- 75/2025 जीसीएमएस नम्बर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
25.07.2025	<p>—: निर्णय :—</p> <ol style="list-style-type: none">पत्रावली आज पेश हुई। उभयपक्ष अनुपस्थित।अपीलार्थी ने ऑनलाईन आवेदन-पत्र दिनांक 20.02.2025 में वर्णित सूचना लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी गुलाबपुरा से चाही गई थी, परन्तु प्रत्यर्थी के द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर, प्रत्यर्थी से सूचना दिलाये जाने का निवेदन किया है। प्रकरण दर्ज कर उभयपक्षकारान की तलबी हेतु नोटिस जारी किये गये।लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी गुलाबपुरा से प्राप्त सूचना अनुसार लोक सूचना अधिकारी द्वारा जरिये पत्रांक 1423 दिनांक 25-07-2025 से अवगत कराया गया कि अपीलार्थी को तहसीलदार हुरडा के पत्र क्रमांक 4464 दिनांक 26.03.2025 से जरिये डाक से वांछित प्रेषित की गयी। जिसकी प्रतिलिपि उक्त अपील पत्रावली के अभिलेख पर मौजूद है। <p>अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाती है। पत्रावली फ़ैसल शुमार हो कर नम्बर से कम हो।</p> <p>निर्णय आज दिनांक 25-07-2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p>	



(जसमीत सिंह संधू)
प्रथम अपीलार्थी अधिकारी
लोक सूचना एवं जिला कलक्टर, भीलवाड़ा